



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 5, 2008/माघ 16, 1929

No. 152]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 5, 2008/MAGHA 16, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2008

(आय-कर)

का.आ. 244(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (xii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तेल उद्योग के विकास के लिए, तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 3 के अधीन स्थापित तेल उद्योग विकास बोर्ड को, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

- (i) आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन यथा कटौती योग्य दावा किया गया व्यय, तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए उपगत हुआ है;
- (ii) ऐसा व्यय पूंजी व्यय की प्रकृति का नहीं है;
- (iii) ऐसा व्यय, आय-कर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कटौती के लिए पात्र नहीं है; और
- (iv) उक्त खंड के अधीन दावा किए गए व्यय का तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा एक पृथक लेखा तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा रखा जाता है।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2008 से अर्थात् निर्धारण वर्ष 2008-09 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए लागू होगी।

टिप्पण :-—यह अधिसूचना से निर्धारण वर्ष 2003-04 से निर्धारण वर्ष 2007-08 को बाबत तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा आरंभ की गई किसी विधिक कार्यवाही पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसी कार्यवाही इस प्रकार जारी रहेगी मानों यह अधिसूचना जारी ही नहीं की गई थी।

[अधिसूचना सं. 21/2008/फा. सं. 149/222/2007-टीपीएल]

पंकज जिन्दल, अवर सचिव